पॉ क्र ३४५/१० दि २२/६/१०च्या आदेशानुसार मंजूर

क्रमांक : २४२०/२२
अर्जदाराचे नांव : [illegible]
नकलेचा अर्ज दिनांक : १०/१२/२२
नक्कल तयार दिनांक : २३/१२/२२
नक्कल दिली तो दिनांक :

सुधारीत
परिशिष्ट - ब
महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा
विधान
शृंखलाबध्द संघटनपर आधारीत

सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त
नांदेड विभाग नांदेड

१) **नाम :** इस संस्था का नाम **महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा** होगा ।.

२) **प्रधान कार्यालय :** इस संस्थाका प्रधान कार्यालय नांदेड होगा । कार्यकारिणीके निर्णयानुसार व सुविधानुसार कार्यालयके स्थान मे परिवर्तन किया जायेगा ।

३) **कार्यक्षेत्र :** इस संस्था का कार्यक्षेत्र अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा द्वारा निर्धारित किया हुआ क्षेत्र होगा । वर्तमान में निम्नलिखित राजस्व जिले इसका कार्यक्षेत्र होगा । कार्य सुविधा की दृष्टि से प्रदेश सभा के चार विभाग बनाये गये है। आवश्यकतानुसार प्रदेश सभा और अधिक विभाग बना सकेगी ।

१) जलगांव, धुळे,नंदूरबार नाशिक, अहमदनगर
२) पुणे, सातारा,सांगली सोलापुर, कोल्हापूर
३) नांदेड, परभणी जालना,औरांगाबाद लातुर, उस्मानाबाद बीड, हिंगोली
४) ठाणे-भयंदर, रायगढ, रत्नागिरी, सिंधूदुर्ग.

अधिक्षक
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय
नांदेड विभाग,नांदेड

४) **उद्देश :** प्रदेश माहेश्वरी सभा अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के संगठन का एक अंग होने से अखिल भारत वर्षीय माहेश्वरी महासभा के उद्देश ही प्रादेशिक सभा के उद्देश होंगे । अर्थात् समस्त भारतवर्ष वासियों की उन्नती एवं प्रगती के व्यापक दृष्टीकोन के साथ माहेश्वरी समाज की समयानुकूल सर्वांगीन उन्नती करना जिससे माहेश्वरी समाज राष्ट्र का एक प्रगतिशील घटक बना रहे । इस उद्देश पुर्ती हेतु निम्नलिखित एवं इनसे सम्बन्धित समयोचित कार्य करना :

१) समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक, नैतिक, शैक्षणिक, शारिरीक उन्नती के लिए प्रयत्न करना । ऐसे कार्यो को साध्य करने के लिए आवश्यक संस्थाओं से सहयोग करना । पत्र, पत्रिकाएं, स्मारिकाएं एवं प्रचार साहित्य का प्रकाशन एवं वितरण करना ।

२) रोजगार, व्यवसाय आदि के इच्छुक व्यक्तियों को मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना । इस हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण भ्रमण, प्रदर्शनी, सेमिनार आदि का आयोजन करना । सहकारी संस्थाओं के माध्यम से व्यावसायिक अवसर व आवासीय सुविधाएं बढाना ।

३) समाज के अभावग्रस्त लोगों की सहायता करना, छात्रवृत्ति अथवा ऋण छात्रवृत्ति तथा ऋण पर ब्याज अदायगी में सहयोग करना । आवश्यकता होने पर जरुरतमंद विद्यार्थीयों को बँको या अन्य संस्थानो से ऋण दिलाने में सहयोग प्रदान करना ।

४) समाज के असहाय बेरोजगार, अपंग, अस्वस्थ अथवा निराश्रीतों एवं जरुरतमंद बच्चों, महिलाओं एवं पुरुषों को सहायता व सहयोग देना ।

५) अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के कार्यो में सहयोग करना व समाज में आयी कुरीतियों को दूर करके स्वस्थ परम्पराओं के विकास का प्रयास करना ।

६) अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा द्वारा स्थापित और संचालित संस्थाओं एवं न्यासों का लाभ यथा सम्भव अन्य समाज को भी देना ।

७) जिन संस्थाओं द्वारा समाज के लोगों को लाभ पहुंचता हो उनकी सहायता करना, उनका संचालन करना और उनके संचालन में महासभा का प्रतिनिधीत्व करना । राष्ट्रीय सामाजिक व लोक कल्याण के अन्य कार्यों मे भाग लेना तथा सहयोग करना ।

८) प्रादेशिक सभा के उद्देशो को अग्रसर करने के लिए सभा, सम्मेलन, अधिवेशन, गोष्ठी, वादविवाद, सांस्कृतिक समारोह, प्रदर्शनी, खेलकुद, व्यायाम , योग, चलचित्र, नाटक आदि विविध प्रकार के कार्यक्रम करना अथवा करवाना । बालकों एवं बयस्कों को सुसंस्कारित करने हेतु कार्यकर्ता एवं व्यक्तित्व विकास शिबीर, संस्कार शिबीर, वर्ग आदि आयोजित करना ।

९) निर्धारित कार्यों एवं योजनाओं के लिए धनसंग्रह करना, उसका विनियोग करना । चल अथवा अचल सम्पत्ती प्राप्त अथवा धारण करना । इन कार्यों के लिए आवश्यक संगठन अथवा न्यास आदि स्थापित करना, सम्पत्ति सम्बन्धी क्रय- विक्रय, ऋण बंधक, लीज आदि के अधिकार ग्रहण करना ।

१०) अन्य ऐसे कार्य करना जिससे समाज की उन्नती सम्भव हो ।

कार्यकारी मंडलकी यादी :

महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा नांदेड के नियम व नियमावलीनुसार इस कार्यकारीणी समितीपर संस्था भी सारी प्रशासकीय व्यवस्था सोंपी गयी हैं । इस प्रथम कार्यकारिणी समिती के सदस्यों के जो सारे भारतीय है उनकी नाम, पत्ते, पद, उम्र, व्यवसाय आदिकी जानकारी निचे मुजब है ।

चौ-क्र ३४५/१०२२/११/१० आदेशानुसार मं.प्र.

सुधारीत
सुधारीत
परिशिष्ट - क
महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा

सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त
नांदेड विभाग नांदेड

नियमावली

१) **परिभाषाएं :** इस विधान मे उल्लेखित विशिष्ट शब्दों का अर्थ निम्नानुसार समझा जायेगा ।

१. **महासभा** अथवा **अखिल भारत वर्षीय** शब्द से तात्पर्य अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा से है ।

२. **माहेश्वरी** शब्द से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो स्वंय को माहेश्वरी कहते है और जिन्हे समाज माहेश्वरी मानता है तथा जिनकी खांप माहेश्वरी जाति की खांपो मे से है ।

३) **समाज, सामाजिक** आदि शब्द माहेश्वरी समाज से सम्बन्धित है ।

४. **प्रदेश सभा** - शब्द का तात्पर्य महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा से है ।

५. **जिला सभा, आंचलिक सभा तहसील सभा, ग्राम नगर सभा, क्षेत्रीय सभा** आदि शब्दों का अर्थ निर्धारित क्षेत्रो की माहेश्वरी सभाओं से है ।

६. **कार्यकारी मण्डल** का अर्थ महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के कार्यकारी मण्डल से है ।

७. **कार्यसमिति** का अर्थ महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा की कार्यसमिति से है ।

८. **प्रादेशिक** शब्द का तात्पर्य महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा से है ।

९. **प्रादेशिक ट्रस्ट** याने महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा द्वारा स्थापित ट्रस्ट से है ।

१०. **प्रथम स्तर कार्यकारी मण्डल :** श्रृंखलाबध्द संगठन मे सब से पहली कडी ग्राम की होती है । ग्राम नगर आदि मिल कर तहसील कार्यकारी मण्डल का गठन करते है । यह प्रथम स्तर कार्यकारी मण्डल है । यदि तहसील सभा कार्यरत नही होगी तो जिला सभा कार्यकारी मण्डल अथवा महानगरों की स्थिती में आंचलिक सभा प्रथम स्तर कार्यकारी मण्डल मानी जायेगी । जहाँ जिला सभाएं कार्यरत नही होगी वहाँ प्रादेशिक मण्डल प्रथम स्तर कार्यकारी मण्डल होगा ।

२. **कार्यालय :**

१. कार्यसमिति के निश्चयानुसार प्रदेश अध्यक्ष अथवा प्रदेश मंत्री का कार्यालय प्रदेश सभा का मुख्य कार्यालय होगा ।

२. आवश्यक हो तो प्रदेश सभा कार्यकारी मण्डल की स्विकृति से प्रदेश सभा के लेख, अभिलेख, प्रपत्र, महत्वपूर्ण कागजात आदि के लिए स्थाई कार्यालय का निर्माण कर सकेगी एवं वहां की व्यवस्था सम्बन्धी योजना बनायेगी ।

३. **प्रादेशिक संगठन के अवयव :** १) ग्राम सभा अथवा स्थानीय सभा, २) नगर सभा ३) तहसील सभा, ४) जिला सभा, ५) प्रदेश सभा द्वारा स्थापित ट्रस्ट या अन्य न्यास, ६) प्रदेश सभा

संगठन की शृंखला :

अ) ग्राम सभा अथवा क्षेत्रीय सभा (कम से कम दस परिवार संख्या)

ब) तहसील सभा (२५ से अधिक परिवार संख्या)

क) जिला सभा (५० से अधिक परिवार संख्या)

प्रदेश कार्यकारी मंडळ के गठन का माध्यम जिला सभा होगी । जिस जिले में कमसे कम ५० परिवार निवास करते होंगे वहाँ जिला सभा स्थापित हो सकेंगी । किसी जिले मे ५० परिवार न हो तो अन्य जिलो को मिलाकर जिला सभा स्थापित हो सकेगी जिसका नाम वे जिला सभाएं निर्धारित करेगी । जिला क्षेत्र मे यदि ५०० से अधिक परिवार हो तो आवश्यकतानुसार क्षेत्र विभाजित किये जा सकेंगे । (जिला कार्यकारिणी के गठन के लिये परिशिष्ठ **अ** व **ब** देखे ।)

४. **सदस्यता :**

१. **साधारण सदस्य :**

प्रदेश सीमा मे रहने वाले १८ वर्ष से अधिक उम्र वाले माहेश्वरी समाज के सभी स्त्री पुरुष साधारण सदस्य माने जायेंगे । संगठन का यह मुलाधार होगा । सभी साधारण सदस्य प्रदेश द्वारा आयोजित अधिवेशन मे भाग ले सकेंगे तथा अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे ।

२) **स्थायी सदस्य :** रु. १००/- शुल्क प्रदान करनेवाले साधारण सदस्य स्थायी सदस्यता प्राप्त कर सकेंगे । यह सदस्यता व्यक्ति के जीवन तक होगी । प्रादेशिक सभा की श्रृंखला में तहसील, जिला, अथवा प्रदेश जहां भी प्रथम कार्यकारी मंडल स्तर के चुनाव होंगे वहां स्थायी सदस्य को मतदान का तथा चुनाव मे खडे होने का अधिकार होगा ।

३) **संरक्षक सदस्य :** रु. १०००/- शुल्क प्रदान करनेवाले साधारण सदस्य संरक्षक सदस्य कहलायेंगे। यह सदस्यता भी व्यक्ति के जीवन तक होंगी । प्रादेशिक सभा की श्रृंखला में तहसील, जिला, अथवा प्रदेश जहां भी प्रथम कार्यकारीमंडल स्तर के चुनाव होगे वहां संरक्षक सदस्य को मतदान का एवं चुनाव में खडे होने का अधिकार होगा ।

४) **संस्थागत सदस्य :** प्रदेश सभा के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत कोई भी माहेश्वरी संस्था जो गत ३ वर्षो से सामाजिक उत्थान के कार्य मे कार्यरत है, रु. २००/- शुल्क प्रदान करके, संस्थागत सदस्यता प्राप्त कर सकेगी । यह सदस्यता संस्था के अस्तित्व तक रहेगी । प्रादेशिक सभा की श्रृंखला मे तहसील, जिला, अथवा प्रदेश जहाँ भी प्रथम कार्यकारी मंडल स्तर के चुनाव होंगे वहाँ मतदान का तथा चुनाव में खडे होने का अधिकार संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव को अथवा संस्था द्वारा मनोनीत कोई भी दो व्यक्तियों को रहेगा ।

प्रत्येक पंजीकृत संस्था अपने एक प्रतिनिधी का मनोनयन प्रादेशिक कार्यकारी मंडल हेतु कर सकेगी । इन सभी पंजीकृत संस्थाओं के प्रतिनिधीयों में से दस को प्रदेश कार्यकारी मंडळ के सदस्य हेतु स्विकृत करने का अधिकार प्रादेशिक कार्यसमिति को होगा ।

५) **कार्यकारी मंडल सदस्य संख्या :**

तहसील सभा, जिला सभा, प्रादेशिक सभा आदि प्रत्येक सभा के अपने अपने कार्यकारी मंडल होंगे । इन समिति सदस्यों की संख्या अुस क्षेत्र के परिवार संख्या के अनुसार होगी । प्रादेशिक कार्यकारी मंडल सदस्यों की संख्या कार्यसमिती तय करेगी । (मतदान का अधिकार एक व्यक्ति एक मत इस पध्दति के अनुसार होगा ।)

५) **प्रादेशिक सभा का गठन :** प्रादेशिक सभा का गठन निम्न प्रकार से किया जावेगा :

१. **चयनित सदस्य :**

अ) जिला सभाओं द्वारा चयनित प्रादेशिक कार्यकारी मण्डल के सदस्य (संलग्न परिशिष्ठ के अनुसार) ये सदस्य जिला सभा कार्यकारी मंडल द्वारा चुने जायेंगे । जिस जिला क्षेत्र मे ५० से २०० परिवार है उस जिला सभा की प्रतिनिधि संख्या ६ रहेगी । जिसमे १) जिलाध्यक्ष २) जिला सचिव ३) महिला प्रतिनिधी ४) युवा प्रतिनिधि ५) जिला कार्यकारी मंडल द्वारा चुने हुये **दो** प्रतिनिधी ।

यदि जिला क्षेत्र में २०० से अधिक परिवार होंगे तो प्रति २०० परिवारों के अनुपात में एक प्रतिनिधि अधिक रहेगा । हर तालुका अध्यक्ष या उसके द्वारा मनोनीत सदस्य को प्रदेश कार्यकारी मंडल का सदस्य माना जायेगा । एक जिले से अधिक से अधिक **तीस** प्रतिनिधि प्रदेश कार्यकारी मंडल के सदस्य होंगे । इन प्रतिनिधीयों का चुनाव जिला कार्यकारिणी करेगी ।

आ) जिला सभाओं द्वारा चयनित महासभा कार्यकारी मण्डल के सदस्य (संलग्न परिशिष्ठ के अनुसार)

२) **पदेन सदस्यः**

प्रदेश सभा के सीमा क्षेत्र मे निवास करने वाले निम्न व्यक्ति प्रदेश सभा कार्यकारी मण्डल के सदस्य माने जा.येंगे ।

१. महासभा के समस्त पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य एवं कार्यसमिति के सदस्य.
२. महासभा के निवर्तमान एवं भूतपूर्व सभापति एवं महामंत्री.
३. श्रीकृष्णदास जाजू स्मारक ट्रस्ट के न्यासी अथवा प्रदेश संयोजक.
४. श्री आदित्य विक्रम बिडला मेमोरियल व्यापार सहयोग केंद्र के प्रबंध समिति के सदस्य, श्री रामगोपाल माहेश्वरी ट्रस्ट, कोठारी बन्धु शौर्य ट्रस्ट तथा महासभा द्वारा स्थापित अन्य ट्रस्ट के प्रबन्धन्यासी, अध्यक्ष एवं मंत्री.
५. प्रादेशिक न्यास की कार्यसमिती के सदस्य अथवा ट्रस्टी
६. प्रादेशिक सभा के निवर्तमान एवं सभी भूतपूर्व अध्यक्ष एवं मानद मंत्री तथा विगत सत्रके सभी पदाधिकारी.
७. प्रादेशिक महिला एवं युवा संगठन के वर्तमान अध्यक्ष एवं मंत्री.
८. अ. भा. माहेश्वरी महिला एवं युवा संगठन के पदाधिकारी ।
९. जिल्हा सभाओं के अध्यक्ष एवं मंत्री

३. **मनोनीत सदस्य :**

नवनिर्वाचित अध्यक्ष द्वारा प्रदेश कार्यकारी मण्डल मे ख्यातिप्राप्त शिक्षा शास्त्री, लोक सभा, राज्य सभा तथा विधान सभा के सदस्य, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, पत्रकारों एवं समाज सेवियों मे से पाँच सदस्य तथा अखिल भारतवर्षीय महासभा के कार्यकारी मण्डल पर निर्धारित संख्या के १/१० सदस्य मनोनीत करने का अधिकार रहेगा । ये सदस्य प्रदेश क्षेत्र मे निवास करनेवाले होंगे ।

४. **स्विकृत सदस्य :** प्रदेश सभा कार्यकारी मंडल मे पंजीकृत संस्थाओं की ओर से प्रत्येक संस्था का एक इस प्रकार से अधिक से अधिक १० सदस्य, उनका मनोनयन प्रदेश कार्य समिति करेगी ।

५. **विशेष सदस्य :** ऐसे व्यक्तियोंका जिनकी सेवाएं प्रदेश कार्यकारी मंडल आवश्यक समझे उनका प्रदेश कार्यकारी मंडल द्वारा मनोनयन किया जायेगा । ऐसी सदस्य संख्या ५ से अधिक नही होंगी । उपरोक्त क्रमांक १ से ५ तक के सभी सदस्य प्रदेश कार्यकारी मण्डल के सदस्य कहलायेंगे तथा इन सभी सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य समान होंगे । इन सदस्योंको चुनाव मे मतदान करनेका तथा चुनाव मे खडे होनेका अधिकार रहेगा । इन्हे प्रदेश कार्यसमिति द्वारा निर्धारीत सत्र शुल्क देना होगा । सत्र २००८-११ से यह शुल्क रु. ५००/- प्रति सत्र तय किया गया है ।

६. **सहयोगी सदस्य :**

प्रदेश सभा की कार्यसमिती द्वारा समय समय पर निर्धारित की गई राशि देकर सहयोगी सदस्यता पूरे सत्र के लिए प्राप्त हो सकेगी । सहयोगी सदस्य को कार्यकारी मण्डल की प्रत्येक बैठक की सूचना दी जायेगी । विषयों की चर्चा मे वे सहभागी हो सकेंगे लेकिन उन्हे मतदान एवं चुनाव मे भाग लेने का अधिकार नही होंगा ।

६. प्रदेश कार्यकारी मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य :

१. संगठन के कार्य की दृष्टी से निर्धारित क्षेत्रानुसार (संभागानुसार) जिला / आंचलिक सभाओं का गठन कराना तथा प्रत्येक क्षेत्र (संभाग) मे निवास करने वाले परिवारोंके आधार पर गठन हेतु विधान के अन्त मे दिये गए परिशिष्ठ मे उल्लेख को ध्यान मे रखते हुए आधार बनाना और चुनाव की व्यवस्था हेतु प्रदेश कार्यसमिति के माध्यम से जिला सभाओं को निर्देश देना ।

२. प्रदेश कार्यसमिति का चुनाव कराना ।

३. वार्षिक बजट पारित करना एवं कार्यसमिति द्वारा स्विकृत वार्षिक अंकेक्षित हिसाब का अनुमोदन करना ।

४. कार्यसमिति द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टी करना और प्रादेशिक सभा के कार्यों के सम्बंध मे नीति निर्धारित करना ।

५. संस्था के विधान मे संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्ध्दन (इस हेतु धारा ३४ के अंतर्गत दिये गए प्रावधानो के अनुसार) करना ।

६. प्रदेश सभा एवं महासभा के उद्देशो को अग्रसर करने एवं उनमे पारित प्रस्तावों के क्रियान्वयन का दायित्व प्रदेश कार्यकारी मण्डल पर होगा । इन कार्योंके सम्बंध मे विविध योजनाये निर्धारित करने, नियम उपनियम बनाने एवं आवश्यकतानुसार संगठन अथवा समितियां / उप समितीयां स्थापित करने का अधिकार होंगा ।

७. सत्र के बीच मे प्रदेश के अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर शेष कालावधी के लिए अध्यक्ष का चुनाव करना ।

८. प्रदेश कार्यकारी मण्डल के जो सदस्य बिना सुचना दिये लगातार **दो** बैठकों मे अनुपस्थित रहते है तो, उनके स्थान रिक्त घोषित किये जायेंगे एवं रिक्त स्थान पर अध्यक्ष द्वारा शेष अवधि हेतु नये

सदस्य सम्बन्धित क्षेत्र की जिला सभा की सहमति से मनोनीत किए जा सकेंगे । परन्तु स्थान रिक्त घोषित करने से पुर्व सम्बंधीत सदस्य को इसकी सूचना देकर १५ दिन की अवधी मे उत्तर मांगा जावेगा ।

९. महासभा से सम्बध्दता प्राप्त करना । (इस हेतु उसे महासभा के निर्देश एव आदेशों का पालन करना होगा तथा निर्धारित सत्र शुल्क जमा कराना होगा ।

७. **प्रदेश की कार्यसमिति का गठन :**

१. प्रदेश कार्यसमिति मे निर्वाचित / चयनित पदाधिकारीयों एवं सदस्यों की संख्या निम्न प्रकार होगी

अ. कार्यकारी मण्डल के कुल सदस्यों की संख्या १५० तक होने पर - ३१.

ब. कार्यकारी मण्डल के कुल सदस्यों की संख्या १५० से अधिक होने पर - ४१.

२. कार्य को सुचारु रुप से चलाने के लिए प्रादेशिक कार्यकारी मण्डल द्वारा कार्यसमिति का गठन किया जायेगा । कार्यसमिति मे पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे ।

१.	अध्यक्ष	:	एक
२.	उपाध्यक्ष	:	चार (सम्भाग के अनुसार)
३.	प्रदेश मंत्री	:	एक (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)
४.	अर्थमंत्री	:	एक
५.	संगठन मंत्री	:	एक या दो (आवश्यकतानुसार)
६.	संयुक्त मंत्री	:	चार (संभाग के अनुसार)
७.	सहमंत्री	:	एक (अध्यक्ष द्वारा प्रदेश मंत्री की सहमति से मनोनीत)
८.	सदस्य	:	३१ या ४१ मे से उपरोक्त तथा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत २/३ सदस्यों को कम कर शेष सदस्यों का चुनाव होगा ।

३. उपरोक्त १३(२) मे वर्णित सदस्यों के अतिरिक्त प्रदेश सभा क्षेत्र मे निवास करने वाले निम्नलिखित महानुभाव कार्यसमिति के पदेन सदस्य होंगे । पदेन सदस्यों को चयनित सदस्यों के समान अधिकार प्राप्त होंगे ।

१. महासभाके समस्त पदाधिकारी एवं कार्यसमिति सदस्य.

२. महासभा के निवर्तमान एवं भूतपूर्व सभापति एवं महामंत्री.

३. निवर्तमान एवं भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्री.

४. महिला एवं युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष एवं मंत्री.

५. जिला अथवा समकक्ष सभा के अध्यक्ष.

६. प्रादेशिक ट्रस्ट के अध्यक्ष अथवा प्रबन्धन्यासी अथवा मंत्री.

४. आवश्यकतानुसार अन्य सदस्यों को विशेष आमंत्रीत के रुप मे बुलाने का अधिकार अध्यक्ष को होगा । कार्यसमिति की बैठक के कोरम हेतु विशेष आमंत्रीत सदस्यों को नही गिना जायेगा ।

८) **पदाधिकारीयों के कर्तव्य व अधिकार :**

अध्यक्ष :

१. प्रदेश कार्यकारी मण्डल, कार्यसमिति और प्रदेश स्तर की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना ।

२. प्रदेश सभा के कार्यसंचालन हेतु उत्तरदायी होंगे एवं सभा को गतिशील रखने तथा उध्देश्यों की पुर्ति का प्रयास करना ।

३. प्रदेश एवं जिला सभा के कार्यक्रमों एवं योजनाओं का समय समय पर विश्लेषण कर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना ।

४. समितियों एव उपसमितियों को सक्रिय रखते हुए उनके कार्यक्रम मे सहयोग प्रदान करना ।

५. बैठके आहूत करने तथा उसकी व्यवस्था करने हेतु मंत्री को निर्देश देना ।

६. आवश्यकता होने पर बराबर मत आने पर निर्णायक मत देना ।

७. महासभा एवं अन्य स्थानों पर सभा का प्रतिनिधीत्व करना ।

८. संविदा और अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना ।

९. विभिन्न पदाधिकारीयों व समितियों को कार्य वितरण करना ।

१०. संगठन को सुदृढ करने हेतु भ्रमण करना । जिला एवं प्रदेश स्तर के सम्मेलन आयोजित कराने का प्रयास करना ।

११. जिला सभाओं को गतिशील रखने हेतु मार्गदर्शन करना व अन्य आवश्यक कार्यवाही करना ।

१२. अपने स्वविवेक से ५ हजार रुपये तक एक समय मे खर्च करने की स्विकृती देना जिसकी पुष्टी कार्यसमिती की आगामी बैठक मे कराई जायेगी ।

१३. अन्य कार्य व निर्णय लेना जो समयानुकूल आवश्यक हो ।

१४. जिला क्षेत्र मे वहाँ के कार्यकारी मण्डल अथवा जिला कार्यकारी मण्डल के चुनाव निर्धारित समय मे नही होने की स्थिती मे धारा २२ (चार) की प्रक्रिया पूरी करते हुए सम्बंधीत जिला सभा को भंग करना । किसी जिला क्षेत्र मे संगठन स्थापित न हो सकने की स्थिती मे उन क्षेत्रो मे चुनाव कराने तथा नये निर्वाचीत पदाधिकारीयों के पद ग्रहण करने तक संस्था को सुचारु रुप से चलाने हेतु तदर्थ समिती अथवा संयोजक का मनोनयन करना । उन जिला क्षेत्रो से निर्धारित संख्या मे महासभा व प्रदेश सभा आदि हेतु प्रदेश मंत्री के परामर्श से सदस्य मनोनीत करना तथा इसका अनुमोदन आगामी कार्यसमिती की बैठक मे कराना ।

उपाध्यक्ष :

१. अपने अपने संभागों मे जिला सभाओं को सक्रिय रखने हेतु समय समय पर भ्रमण करना ओर उनका मार्गदर्शन करना तथा सम्भागीय स्तर / जिलास्तर पर कार्यगोष्ठीयों अथवा बैठके आदि आयोजित कर समाज को गतिशील रखना एवं सदस्यों को सक्रिय रखना एवं चुनाव आदि कराना ।

२. प्रदेश के विभागीय कार्य सम्पादित कराने मे तथा प्रदेश द्वारा समय समय पर दिये गए निर्देशो / कार्यो को सम्पादित करने मे पूर्ण जिम्मेदारी निभाना ।

३. अध्यक्ष तथा प्रदेश मंत्री को पूर्ण सहयोग देना ।

प्रदेश मंत्री :

१. प्रदेश सभा के कार्यालय व कार्यो का संचालन करना । सभा, सम्मेलन, प्रदेश कार्यकारी मण्डल तथा कार्यसमिति की बैठके अध्यक्ष के परामर्श से आयोजित करना ।

२. बैठके आहूत करने हेतु कार्य सुचि बनाना, उनको सदस्यों को भेजना, बैठकों का संचालन करना व कार्यवाही का रिकार्ड रखना एवं उनकी क्रियान्विती सुनिश्चित करना ।

३. सभा से सम्बन्धित कर्मचारियों को कार्यसमिति की स्विकृती से नियुक्त करना उन पर नियंत्रण रखना तथा उनके वेतन बिल आदि पास कर भुगतान करने को अर्थमंत्री को निर्देश देना ।

४. प्रदेश कार्यकारी मण्डल तथा कार्यसमिती के निर्णयानुसार सभा का कार्य करना तथा स्विकृत बजट के अनुसार खर्च करना व खर्चोपर नियंत्रण रखना ।

५. प्रदेश सभा के अध्यक्ष की सम्मति से सत्र एवं वर्षवार योजना एवं कार्यक्रम बना उसे कार्यसमिति से अनुमोदित कराना तथा इसकी जानकारी एवं प्रगती से कार्यकारीमण्डल को अवगत कराना ।

६. महासभा से आये पत्रों को जिला एवं तहसील स्तर तक प्रसारित करना ।

७. कार्यसमिती द्वारा गठित समितीयों / उपसमितियों का कार्य एवं क्षेत्र निर्धारित कर उनसे कार्य करवाना ।

८. अन्य पदाधिकारीयों को कार्य मे मदत व मार्गदर्शन करना और समस्त गतिविधीयों की जानकारी रखना ।

९. जिला सभाओं और महासभा कार्यालयों से सम्पर्क रखना एवं आवश्यक हो तो भ्रमण करना ।

१०. प्रदेश सभा को गतिशील रखने मे अध्यक्ष / उपाध्यक्षों को सहयोग देना ।

११. प्रदेश सभा की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना । समस्त कानुनी कार्यवाही करना, दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना और मामलों की पैरवी करना । सम्पति की सुरक्षा हेतु अन्य वैधानिक कार्यवाही करना ।

१२. अपने स्वविवेक से २ हजार रुपये तक (एक मुश्त) खर्च करने की स्विकृति अध्यक्ष से सहमति लेकर देना । इसका हिसाब कार्यसमिति की अगली बैठक मे प्रस्तुत कर अनुमोदन कराना ।

१३. अन्य सभी आवश्यक कार्यवाही करना जो प्रादेशिक सभा के हित मे हो ओर वांछित हो ।

१४. वार्षिक लेखे तैयार कराकर उनका ऑडिट कराना तथा कार्यसमिति से स्विकृत कराकर प्रदेश कार्यकारी मण्डल से अनुमोदन कराना ।

१५. दान, भेट, चन्दा, चल / अचल सम्पति संस्था के उद्देश्यों को ध्यान मे रख कर स्विकार करना । प्राप्त चैक / ड्राफ्ट / नकद आदि को अर्थमंत्री को जमा खर्च हेतु भेजना ।

१६. निर्णयानुसार बँक खातों को अर्थमंत्री को जमा खर्च हेतु भेजना

१७. सहमंत्री / संयुक्तमंत्रीयों मे कार्य विभाजन करना ।

अर्थमंत्री :

१. वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना ।

२. प्रदेश मंत्री के परामर्श से बजेट बनाना उसे कार्यसमिति एवं कार्यकारी मण्डल से अनुमोदित कराना । स्विकृत बजेट के अनुसार अर्थ संग्रह की योजना बनाना, अर्थ संग्रह करना और खर्चो पर नियंत्रण रखना ।

३.	चन्दा / शुल्क / अनुदान / भेट आदि प्राप्त कर रसीद देना ।

४.	संस्था के आय व्यय का हिसाब रखना । हिसाब की आन्तरिक अंकेक्षक से जांच कराना एवं चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से ऑडिट कराना । कार्यसमिति मे स्विकृति हेतु प्रस्तुत करना ।

५.	अपने पास इम्प्रेस्ट मनी के रुप मे अधिकतम ५०००/- रुपये तक नगद राशि रखना तथा स्व विवेक से १०००/- रुपये का व्यय मंत्री की सहमती से करना ।

६.	प्रदेश मंत्री के परामर्ष से बँक खातों के संचालन का कार्य करना ।

संगठन मंत्री :

१.	संगठन को सक्रिय रखना तथा भ्रमण व प्रचार आदि करके संगठन को सुदृढ बनाना । प्रदेश कार्यकारीमण्डल तथा कार्यसमिति के अध्यक्ष व मंत्री के निर्देशानुसार विभिन्न संगठ्नात्मक कार्य सम्पादित करना / कराना । सम्भागीय उपाध्यक्षों व संयुक्तमंत्रीयों से निरन्तर संपर्क मे रहना तथा उन्हे सक्रिय रखना । संभागो मे जिला सभाओं के गठन कराने का ध्यान रखना व गठन कराना । सम्भाग स्तर पर समय समय पर बैठकों का आयोजन कराना, महासभा व प्रदेश के कार्यक्रमानुसार सम्भाग मे जिला सभाओं को गतिशील रखना । स्थानीय विवादें को सुलझाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना । संगठन को मजबुत रखना ।

२.	अपने क्षेत्र की प्रगति रिपोर्ट हर छ माह मे प्रदेश मंत्री को प्रस्तुत करना

सहमंत्री :

१.	प्रदेश मंत्री की अनुपस्थिती मे सभा संचालन करना, कार्यवाही का रेकार्ड रखना तथा प्रदेश मंत्री को हर कार्य मे सहयोग देना ।

२.	प्रदेश मंत्री व अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य कर सहयोग प्रदान करना ।

संयुक्तमंत्री :

१.	अध्यक्ष, प्रदेश मन्त्री व सम्भागीय उपाध्यक्षों के द्वारा दिए गए कार्यों का संचालन करना एवं कार्यवाही आदि रिकार्ड कर प्रदेश मन्त्री को प्रेषित करना ।

२.	अन्य कार्य जो अध्यक्ष / मन्त्री, संभागीय उपाध्यक्ष द्वारा सौंपे जावे उनको सम्पादित करना ।

३.	संगठन को सुदृढ व गतिशील रखने मे प्रदेश मंत्री को एवं सम्भाग के उपाध्यक्ष को व अध्यक्ष को सहयोग देना.

४.	अपने जिम्मे आये कार्य विभाजन को सम्पन्न करने मे सहयोग प्रदान करना ।

५.	अन्य कार्य जो प्रदेश सभा के हित मे आवश्यक हो करना ।

६.	सम्भागीय उपाध्यक्ष व संगठन मंत्री के साथ सम्भाग का समय समय पर भ्रमण करना तथा सम्भाग मे गतिशीलता कायम रखना । सम्भाग मे विभिन्न गतिविधीयां और सम्भागीय सभाएं आदि आयोजित कराना तथा हर छह माह मे प्रगति रिपोर्ट प्रदेश मंत्री को प्रस्तुत करना ।

**९)	कार्यसमिती का निर्वाचन :**

१.	प्रदेश सभा की कार्यसमिति का चुनाव ३ वर्ष की अवधि के लिए प्रदेश कार्यकारी मण्डल के सदस्यों द्वारा किया जावेगा ।

२. चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा । धारा ८ (१ से ५ तक) मे वर्णित सदस्य ही चुनाव मे भाग ले सकेंगे एवं प्रत्याशी भी बन सकेंगे ।

३. चुनाव अधिकारी की नियुक्ती चालु सत्र की कार्यसमिति द्वारा की जावेगी तथा चुनाव के समय पर्यवेक्षक भेजने हेतु महासभा से चुनाव की तिथी से कम से कम एक माह पूर्व निवेदन किया जावेगा ।

४. कार्यसमिति के पदाधिकारीयों का निर्वाचन नीचे लिखे अनुसार होगा :

अध्यक्ष : अध्यक्ष का चुनाव प्रदेश कार्यकारी मण्डल द्वारा किया जायेगा । सत्र के बीच मे अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर शेष कालावधी के लिए अध्यक्ष का चुनाव प्रदेश कार्यकारी मण्डल द्वारा ही किया जायेगा । उक्त चुनाव सभा की सूचना निश्चित तिथी से २१ दिन पूर्व जारी करना आवश्यक होगा ।

उपाध्यक्ष : उपाध्यक्ष का चुनाव प्रदेश कार्यकारी मण्डल के संबंधीत सम्भाग के सदस्यों द्वारा किया जायेगा । प्रत्येक सम्भाग से एक उपाध्यक्ष चुना जावेगा ।

प्रदेश मंत्री : प्रदेश मंत्री का नाम नवनिर्वाचीत प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कार्यकारी मण्डल की चुनावी बैठक मे मनोनीत किया जावेगा ।

अर्थमंत्री : अर्थमंत्री का चुनाव प्रदेश कार्यकारी मण्डल द्वारा किया जायेगा.

संगठनमंत्री : संगठन मंत्री का चुनाव प्रदेश कार्यकारी मण्डल द्वारा किया जायेगा । संगठन मंत्री का पद एक से अधिक अथवा सम्भाग के अनुसार होने पर सम्भाग से सम्बन्धित कार्यकारी मंडल के सदस्यो द्वारा किया जायेगा ।

संयुक्त मंत्री : संयुक्त मंत्री का चुनाव प्रदेश कार्यकारी मंडल के सम्बन्धित सम्भाग के सदस्यों द्वारा किया जायेगा । प्रत्येक सम्भाग से एक संयुक्त मंत्री चुना जायेगा ।

सहमंत्री : अध्यक्ष द्वारा प्रदेश मंत्री की सहमती से मनोनीत किया जावेगा ।

सदस्य : प्रदेश कार्यकारी मण्डल के सदस्यों मे से दो / तीन सदस्य अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे व शेष का आबंटन प्रदेश कार्यसमिति द्वारा जिलो को उचित प्रतिनिधीत्व देते हुए किया जावेगा ।

५. **पदाधिकारीयों हेतु अहर्ताएं :**

पदाधिकारीयों हेतु अहर्ताए निम्नानुसार होंगी :

अध्यक्ष :

अ) न्यूनतम आयु ४० वर्ष हो ।

आ) पूर्व मे प्रादेशिक सभा का पदाधिकारी रहा हो अथवा कार्यकारी मण्डल का दो सत्र तक सदस्य रहा हो ।

अथवा

प्रदेश कार्यसमिती का एक सत्र तक सदस्य रहा हो ।

प्रदेश मंत्री :

अ) न्यूनतम आयु ३५ वर्ष हो ।

आ) एक पूर्ण सत्र तक प्रदेश का पदाधिकारी रहा हो ***अथवा***

प्रदेश कार्यकारी मण्डल अथवा प्रदेश कार्यसमिति का एक सत्र तक सदस्य रहा हो ।

अन्य पदाधिकारी :

अ) न्यूनतम आयु ३५ वर्ष हो

आ) एक पूर्ण सत्र तक प्रदेश कार्यसमिति का अथवा एक पूर्ण सत्र तक प्रदेश कार्यकारी मण्डल का सदस्य रहा हो ।

१० कार्यसमिति के अधिकार एवं कर्तव्य :

प्रदेश सभा की कार्यसमिति के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होंगे :

१. प्रदेश कार्यकारी मण्डल के प्रति उत्तरदायित्व निभाना ।

२. प्रदेश सभा की सत्रवार एवं वर्षवार योजना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना तथा उसका कलेण्डर बना तदनुसार कार्यों को सम्पादित कराना ।

३. समय समय पर योजनाओं एवं कार्यक्रमों का मुल्यांकन कर अनुवर्ति कार्यक्रम बनाना ।

४. जिला सभाओं से सत्रवार एवं वर्षवार योजना एवं कार्यक्रम बनवा कर उनका अनुमोदन करना तथा इस हेतु मार्गदर्शन देना ।

५. पूरे प्रदेश को संगठित एवं क्रियाशील बनाये रखने हेतु विभिन्न प्रकार से मार्गदर्शन देना ।

६. वार्षिक बजेट तैयार करना एवं वार्षिक अंकेक्षित हिसाब को प्रदेश कार्यकारी मण्डल मे रखनेसे पुर्व उन्हे पारित करना ।

७. सभा की सम्पती की सुरक्षा करना । उसकी चल अचल सम्पति, पुंजी, भवन निर्माण व उनकी व्यवस्था करना तथा दान व सहयोग राशि तथा भेट / उपहार आदि प्राप्त करना ।

८. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ती करना तथा उनके वेतन व भत्तो आदि का निर्धारण करना तथा उनकी सेवा शर्ते तय करना / सेवा मुक्त करना आदि ।

९. आवयकतानुसार कार्यसमिति मे पदों की संख्या मे वृध्दि या कमी करना अथवा नये पद सृजित करना । इन्हे प्रदेश कार्यकारी मण्डल की अगली बैठक मे अनुमोदित कराना ।

१०. जिला सभाओं की कार्यसमिति मे एक सदस्य मनोनीत करना ताकि प्रदेश एवं जिला सभा मे समन्वय बना रहे ।

११. निर्धारीत उद्देशो को अग्रसर करना एवं प्रदेश कार्यकारी मण्डल मे पारित प्रस्तावों के क्रियान्वयन का दायीत्व वहन करना ।

१२. विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभीन्न समितियों एवं प्रकोष्ठों का गठन करना तथा उनके लिए कार्य विधी एवं कार्यक्षेत्रों का निर्धारण करना । इनके कार्य संचालन हेतु नियम बनाना । ये सभी नियम विधान एवं नियमावली के भाग समझे जावेंगे ।

१३. प्रादेशिक सभा की आर्थिक स्थिती सुदृढ करने हेतु प्रयास करना एवं निर्णय लेना ।

१४. महासभा कार्यकारी मण्डल हेतु जिला सभाओं से प्राप्त नामों का अनुमोदन कर उन्हे शुल्क सहित महासभा को प्रेषित करना ।

१५. प्रदेश स्तरीय विभिन्न चुनावों के लिए आवश्यकतानुसार चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करना ।

१६. चुनावों सम्बन्धी नियम व उपनियम बनाना ।

१७. हिसाब की जाँच हेतु आन्तरिक अंकेक्षक नियुक्त करना और ऑडिट हेतु चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट नियुक्त करना ।

१८. महासभा और प्रदेश कार्यकारी मण्डल द्वारा निर्धारीत नीति एवं प्रस्तावों की क्रियान्विती करना ।

१९. जो पदाधिकारी / सदस्य बिना सूचना दिए लगातार दो बैठको मे अनुपस्थित रहते है उनके स्थान रिक्त घोषित किए जा सकेंगे । परन्तु स्थान रिक्त घोषित रकने से पूर्व सम्बन्धित सदस्य को इसकी लिखित सुचना देकर १५ दिन की अवधी मे उत्तर मांगा जावेगा । निर्धारित समय मे उत्तर नही आने पर स्थान रिक्त घोषित कर दिया जायेगा । रिक्ती की पूर्ति कार्यसमिति की बैठक मे शेष कालावधी के लिए करना ।

२०. महासभा की कार्यसमिती के लिए सदस्य / सदस्यों का चुनाव प्रदेश से अ. भा. माहेश्वरी महासभा कार्यकारी मण्डल के सदस्यों मे से करना ।

२१. कार्यसमिति मे पदाधिकारीयों (अध्यक्ष के अतिरिक्त) और महासभा कार्यसमिति सदस्यों का स्थान रिक्त होने पर रिक्त स्थान की पूर्ति शेष कालावधी हेतु करना ।

२२. प्रदेश कार्यकारी मण्डल कार्यसमिति एवं पदाधिकारीयों से लिया जाने वाला शुल्क समय समय पर निर्धारीत करना ।

२३. प्रदेश के अध्यक्ष और अथवा अन्य पदाधिकारीयों के द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देने पर त्यागपत्र को स्विकार करना ।

२४. निधन, अनुपस्थीती, त्याग पत्र अथवा अन्य कारण से प्रदेश कार्यकारी मण्डल मे सदस्यों के जो स्थान रिक्त होते है उनके स्थान पर शेष कालावधी हेतु नये सदस्य का मनोनयन / चयन करना ।

२५. स्थानीय सभा स्तर पर सदस्यता हेतु सदस्यता शुल्क का निर्धारण करना ।

२६. जिला अथवा समकक्ष संगठ्नों का सत्र सम्बध्दता शुल्क निर्धारण करना व सम्बध्दता प्रदान करना ।

११ (क) प्रदेश कार्यकारी मण्डल की बैठके :

१. अध्यक्ष की सहमति से प्रदेश मंत्री द्वारा कार्यकारी मण्डल की बैठके आवश्यकतानुसार बुलाई जा सकेगी । परंतु वर्ष मे **एक** बैठक बुलाना अनिवार्य होगा ।आवश्यकता पडने पर विशेष सभा अध्यक्ष या मन्त्री द्वारा भी बुलाई जा सकेगी । यह बैठक चुनाव बैठक के अलावा होगी ।

२. प्रदेश कार्यकारी मण्डल की बैठक का कोरम कुल सदस्यों के १/३ सदस्योंका होगा जिसमे न्यूनतम तीन पदाधिकारीयों की उपस्थिती आवश्यक होगी ।

३. बैठक की सूचना १५ दिन पूर्व डाक अथवा उचित माध्यम (कोरीयर) से एवं अत्यावश्यक अथवा अधियाचित बैठक की सूचना डाक से यू. पी. सी / ई-मेल द्वारा ७ दिन पूर्व दी जायेगी ।

४. प्रदेश कार्यकारी मण्डल की बैठक मे साधारणत: उन्ही विषयों पर विचार किया जा सकेगा जो विचारार्थ विषयों की सूची मे प्रसारित किए गए है । परन्तु अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर भी विचार किया जा सकेगा । आय व्यय पत्रक वर्ष मे एक बार पेश किया जायेगा ।

५. प्रदेश कार्यकारी मण्डल की बैठक की तिथी से कम से कम एक माह पूर्व प्रदेश कार्यालय मे प्राप्त प्रस्तावों व सुझावों को अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से विचारार्थ रखा जा सकेगा ।

(ख) स्थगित बैठक :

कोरम के अभाव मे बैठक स्थगित की जा सकेगी । जो बैठक की सूचना के साथ प्रसारित स्थगन सम्बधी सूचनानुसार अथवा पुनः आधा घण्टा पश्चात् आहूत की जा सकेगी । ऐसी स्थगित बैठक मे कोरम की कोई आवश्यकता नही होगी । विचाराधीन विषय वही होंगे जो पूर्व प्रसारित विषय पत्रिका मे थे । परंतु विधान संशोधन अथवा चुनावी कार्य नही होगा ।

ग) अधियाचित बैठक :

कार्यकारी मण्डल के १/३ सदस्यों के लिखित आवेदन पर मंत्री या अध्यक्ष द्वारा दो माह के अन्दर अन्दर अधियाचित बैठक आहुत करना अनिवार्य होगा । निर्धारित अवधि मे अध्यक्ष या मन्त्री द्वारा बैठक नही बुलाए जाने पर उक्त सदस्यों मे से कोई भी दस सदस्य आवेदन की तिथी के दो माह बाद १५ दिन का समय देकर बैठक बुलाने के लिए नोटीस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक मे होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे । बैठक बुलाने की सुचना यु पी सी द्वारा दी जायेगी । इस बैठक मे अधियाचित बैठक बुलाने हेतु किए गए आवेदन मे उल्लेखित विषयों पर ही विचार हो सकेगा ।

कार्यसमिति की बैठके :

१. कार्यसमिती की सत्र मे कम से कम ३ बैठके अनिवार्य रुप से होंगी, लेकिन आवश्यकता होने पर अध्यक्ष / मन्त्री द्वारा कभी भी बैठक बुलाई जा सकेगी ।

२. बैठक का कोरम १/३ सदस्यों का माना जावेगा जिसमे तीन पदाधिकारीयों की उपस्थिती आवश्यक होगी । पदेन एवं आमंत्रीत सदस्यों को कोरम हेतु शामिल नही माने जायेंगे ।

३. बैठक की सुचना प्रायः १५ दिन पूर्व दी जावेगी परन्तु अत्यावश्यक बैठक की सुचना तीन दिन के समय मे भी दी जा सकती है ।

४. कोरम के अभाव मे बैठक स्थगित की जा सकेंगी । जो बैठक के एजेण्डा मे प्रसारित सूचना के अनुसार पुनः आधे घण्टे पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर होगी । लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व विषय पत्रिका मे थे । इस बैठक मे उपस्थित सदस्यों के अलावा कम से कम तीन पदाधिकारीयों की उपस्थिती अनिवार्य होंगी । स्थगित बैठक की कार्यवाही की पुष्टि आगामी कार्यसमिती की बैठक मे कराना आवश्यक होगा ।

५. बैठक की सुचना कोरियर / ई-मेल, साधारण डाक से / यु. पी. सी. से दी जायेगी जो पर्याप्त मानी जायेगी ।

१२) मतगणना :

चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली से होगा । चुनाव के अलावा अन्य प्रकरणों मे मतदान हाथ उठाकर भी हो सकता है । समान संख्या मे मत प्राप्त होने पर अध्यक्ष को एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार होगा अथवा चिट्ठी निकाल कर भी निर्णय लिया जा सकेगा ।

१३) कार्यकाल :

प्रदेश कार्यकारी मण्डल तथा कार्यसमिति एवं पदाधिकारीयों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा । साधारणतः यह महासभा के कार्यकाल से संलग्न होगा किन्तु किसी अपरिहार्य कारणो से निर्धारित अवधि मे प्रदेश सभा

का गठन नही हो सकने की स्थिती मे प्रदेश कार्यकारी मण्डल अपना कार्यकाल अधिक से अधिक एक वर्ष तक और बढा सकेगा । लेकिन अ.भा.मा. महासभा के सभापति पद के चुनाव के पश्चात ही अ.भा.मा.महासभा के कार्यकारी मंडल के नवनिर्वाचित सदस्य पदासीन होगे । प्रदेश सभा एवं महासभा चुनाव मे वर्तमान सदस्यों को मतदानका अधिकार होगा, नवनिर्वाचित सदस्यों को नही । प्रादेशिक सभा के अंतर्गत जिला, तहसील, ग्राम सभा आदि के चुनाव के अवधि निर्धारण का अधिकार प्रदेश की कार्यसमीती को होगा । प्रदेश सभा द्वारा जारी विशेष कर चुनाव संबंधी सुचना ओं को अमल करना संबंधित संगठनों के लिये अनिवार्य होगा ।

१४. सभा का आर्थिक वर्ष एवं कोष :

१. सभा का आर्थिक वर्ष (हिसाबी वर्ष) १ एप्रील से ३१ मार्च तक माना जायेगा ।

कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :

अ) चन्दा

आ शुल्क

इ) अनुदान

ई) सहायता या सहयोग

उ) राजकीय अनुदान

ऊ) विज्ञापन एवं अन्य साधन

ए) अन्य विविध स्रोत्रो से प्राप्त

२. प्रादेशीक स्थायी सदस्यता शुल्क स्थायी निधीके रुप मे रहेगा । इस निधीके आय से हर जिलेको उन्होंने दी हुयी राशी के हिसाब से प्राप्तीका ४०% भाग जिला सभाको हर वर्ष दिया जायेगा ।

३. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी शेडयूल्ड बँक अथवा पोस्ट ऑफिस मे सुरक्षित निवेश की जायेगी । आवश्यकतानुसार एवं कार्यसमिती के निर्णयानुसार स्थाई निधी का निर्माण भी किया जा सकेगा ।

४. अध्यक्ष - प्रदेश मंत्री - अर्थमंत्री मे से किन्ही दो पदाधिकारीयों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बँक मे लेनदेन का व्यवहार हो सकेगा ।

५. हिसाब परीक्षण के लिये आवश्यक व्यवस्था का निर्धारण कार्यसमिती करेगी ।

६. कार्यकारी मंडल की वार्षिक सभा मे गतवर्ष का हिसाब एवं आगामी आय व्यय का अनुमान (बजेट) प्रस्तुत किया जायेगा ।

कोष संबंधी विशेषाधिकार :

संस्था हित मे तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार बजेट के अलावा निम्न पदाधिकारी खर्च हेतु राशि एक समय मे एक मुश्त स्विकृत कर सकेंगे ।

१. अध्यक्ष - ५ हजार रुपये

२. प्रदेश मंत्री - २ हजार रुपये

३. अर्थमंत्री - १ हजार रुपये

उपरोक्त राशि के खर्च का अनुमोदन कार्य समिति से कराया जाना आवश्यक होगा ।

१५) **सभा के विधान मे परिवर्तन :**

सभा के विधान मे आवश्यकतानुसार संशोधन हेतु समय समय पर प्रस्ताव कार्यसमिति के एजेण्डे मे प्रसारित होंगे और अनुमोदित होने पर प्रदेश कार्यकारी मण्डल के एजेण्डे मे विचारार्थ रखे जा सकेंगे एवं उपस्थित सदस्यों के २/ ३ बहुमतसे परिवर्तन, परिवर्ध्दन अथवा संशोधन किया जा सकेगा । ऐसी मिटींग की सुचना मय प्रस्तावित संशोधनों के प्रदेश कार्यकारी मंण्डल के सदस्यों को एक माह पूर्व प्रसारित की जावेगी । विधान मे संशोधन स्थगित मिटींग मे नही हो सकेंगे । यदि प्रदेश कार्यकारी मण्डल के ५० प्रतिशत या इससे अधिक सदस्य विधान मे संशोधन का कोई प्रस्ताव देते है तो उस पर प्रदेश कार्यकारी मण्डल सीधे भी विचार कर सक्ती है । परंतु इसके लिए भी सदस्यों को मय प्रस्ताव के एक माह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा । किसी भी परिस्थीती में विधान की मूल भावना मे परिवर्तन नही होंगा ।

१६) **आचार संहिता :**

१. महासभा द्वारा स्विकृत आचार संहिता का प्रत्येक सदस्य एवं संस्था द्वारा पालन करना अपेक्षित है ।

२. जिला अथवा क्षेत्रीय / तहसील सभाओं के सदस्यों द्वारा पत्र व्यवहार संबंधीत सभाओं के अध्यक्ष के मार्फत किया जायेगा परंतु शिकायती पत्र की प्रतिलिपी सिधी भेजी जा सकेगी । उच्च पदाधिकारीयों द्वारा शिकायतों पर दो माह तक ध्यान नही देने पर शिकायत कर्ता अन्य पदाधिकारीयोंको इसकी जानकारी दे सकेगा । इसे अन्यथा पत्र व्यवहार आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जावेगा ।

१७) **सदस्यों द्वारा नियमों का उल्लंघन व अनुशासनात्मक कार्यवाही :**

महासभा और प्रादेशिक सभा के नियमों / अनुशासन आदि का बार बार उल्लंघन करने वाले तथा / अथवा गंभीर प्रकृती वाले मामलो तथा जिला सभा द्वारा भेजे गए मामलों एवं उपर धारा संख्या १० मे आने वाले मामलों पर कार्यसमिति उचित कार्यवाही के पश्चात संबंधीत सदस्य की सदस्यता निलंबीत कर सकेंगी । प्रदेश मंत्री के पास मामला आने पर प्रदेश मंत्री द्वारा संबंधीत सम्भागीय पदाधिकारीयों के माध्यम से १५ दिन का समय देकर प्रारंभीक जांच कराई जावेगी । संबंधीत सदस्य अपील कर सकेगा। अपील सुनने व निर्णय का अधिकार कार्यसमिति द्वारा नियुक्त अपील अधिकरण को होगा, जिसका निर्णय अंतीम रुप से मान्य होंगा । निर्णय के बाद यदि सदस्यता निलंबीत होती है तो उस सदस्य की सदस्यता सभी स्तरों पर समाप्त मानी जावेगी । संपुर्ण निर्णय प्रदेश कार्यकारी मण्डल की बेठक मे सूचनार्थ प्रस्तुत कर दिया जावेगा ।

सामाजिक प्रश्नों व समस्याओं का निर्णय सामाजीक मंच पर ही किया जावेगा - कोर्ट मे नही !

१८) **सदस्यता से निष्कासन/पद मुक्ति/ अलग होना :**

१. पागलपन अथवा मृत्यु होने पर.

२. त्याग पत्र देने के बाद स्विकृत होने पर

३. संस्थाके उद्देशों के विपरीत आचरण करने पर.

४. प्रदेश की कार्यसमिति द्वारा दोषी करार देने पर

५. प्रदेश कार्यकारी मण्डल के सदस्यों की सभा में उपस्थित २/३ सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास कर देने पर । ऐसे मामले पूर्व मे एजेण्डा मे सूचित होने चाहिए ।

६. न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध मे दण्डित होने पर.

७. अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा अथवा प्रादेशिक माहेश्वरी सभा से असम्बध्द समानान्तर माहेश्वरी समाज की दुसरी संस्था / संगठन की सदस्यता ग्रहण करने पर.

८. सदस्यता त्यागने पर

९. संगठन सम्बन्धी विवाद को न्यायालय मे ले जाने पर ।

१०. पदेन सदस्यके पद का कार्यकाल समाप्त होनेपर

नोट : निष्कासन / पदमुक्ति की कार्यवाही करने से पूर्व धारा २६ के अनुसार उल्लंघन तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत दी गई प्रक्रिया अपनाई जावेगी ।

१९) रिक्त पद की पूर्ति :

१. पदेन सदस्य के रिक्त पद की पूर्ति उसी पद पर आये नये सदस्य द्वारा होगी ।

२. सत्र के मध्य मे हुई पदाधिकारीयों (अध्यक्ष के अलावा) व सदस्यों के रिक्त पदों की पूर्ति शेष कालावधी के लिए कार्यसमिति कर सकेंगी ।

३. अध्यक्ष पद यदि रिक्त होता है तो उस पद की पूर्ति प्रदेश कार्यकारी मण्डल द्वारा की जावेगी ।

४. मनोनीत सदस्यों के तथा मानद मंत्री के रिक्त पद की पूर्ति अध्यक्ष द्वारा होगी ।

२०) कानुनी कार्यवाही :

सभा के कोष, सम्पति अथवा हिसाब आदि के संबंध मे आवश्यकतानुसार कानुनी कार्यवाही मंत्री के पद नाम से की जायेगी और इस संबंध मे उन्हे आवश्यक अधिकार, वकालतनामा, दावा, जबाबदावा देने लेने आदि के अधिकार प्राप्त होंगे ।

२१) मध्यस्थ की नियुक्ती :

प्रादेशीक सभा या जिला सभा मे कोई विवाद उपस्थित होने पर कार्यसमिति आवश्यक जांच पडताल के पश्चात **धारा २६** मे आने वाले मामलों के अलावा अन्य विवादों मे आवश्यक समझौता कराने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ती कर सकेगी । विवाद निवारण समिति / मध्यस्थ का निर्णय अंतीम माना जायेगा । इस निर्णय से प्रभावित होने वाला सदस्य यदि प्रदेश अथवा महासभा का वर्तमान पदाधिकारी, प्रदेश अथवा जाजू ट्रस्ट का ट्रस्टी अथवा कार्य समिति का सदस्य हो तो वह प्रदेश या महासभा की कार्यसमिति मे अपील कर सकेगा । इस संबंध मे महासभाकी कार्य समितीका निर्णय अंतिम होगा । किसीभी विवाद को कोर्ट मे नही ले जाया जावेगा ।

२२) बहिष्कार विषयक नीति :

सभा मे प्रस्तुत होने वाले किसी भी प्रस्ताव मे सामाजिक बहिष्कार की नीति को स्थान नही दिया जायेगा ।

२३) भाषा :

सभा की कार्यवाही देवनागरी लिपी / हिंदी भाषा मे लिखी जायेगी ।

२४) **विसर्जन :**

सभा के विसर्जन का प्रस्ताव यदि प्रदेश कार्यकारी मण्डल के कार्यसमिति की अनुशंसा पर प्रस्तुत होता है तो

१. इस हेतु प्रदेश कार्यकारी मण्डल सभा की विशेष बैठक बुलाई जावेगी ।

२. सभा के आधे से अधिक सदस्यों की उपस्थिती होना अनिवार्य होगा ।

३. उपस्थित सदस्यों मे से निब्बे प्रतिशत के बहुमत से निर्णय होने पर ही प्रस्ताव पारित माना जावेगा ।

४. ऐसी बैठक कम से कम ५० सदस्यों की मांग पर ही बुलाई जा सकेगी । विसर्जन की प्रक्रिया मे प्रदेश सभा की समस्त संम्पति, लेखे, अभिलेखे, प्रपत्र, कागजात आदि का हस्तांतरण समान उद्देशो वाली संस्था को किया जा सकेगा ।

२५) **पारिश्रमिक :**

सभासद के नाते किसी सदस्य / कार्यकर्ता को पारिश्रमिक के रुप मे सभा की आय का कोई भाग नही मिलेगा । परंतु सभा के लिए विशेष सेवायें प्राप्त होने पर सभा कार्यालय (अध्यक्ष / प्रदेश मंत्री) से पूर्व अनुमति लिए जाने पर किसी कार्यकर्ता को उसकी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक दिया जा सकेगा ।

२६) **प्रदेश अधिवेशन :**

१. प्रदेश अधिवेशन साधारणतया तीन वर्ष मे एक बार होगा । अधिवेशन के आयोजन का स्थान किसी जिला सभा के निमंत्रण पर निश्चित होगा । साधारणतः अधिवेशन मे प्रदेश सभा की प्रवृतियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा । अधिवेशन मे सामाजिक मार्गदर्शन एवं सामान्य लाभ के लिए उपयुक्त प्रस्ताव स्विकृत किये जावेंगे तथा समाजोत्थान की योजनाये निर्धारीत या स्विकृत की जा सकेगी । अधिवेशन मे कोई प्रस्ताव अथवा योजना उपस्थीत सदस्यों के २/३ मतों द्वारा स्विकृति देने पर ही स्विकृत मानी जायेगी ।

२. **स्वागत समिती एवं गठन :** अधिवेशन के संबंध मे निश्चय होने पर अधिवेशन संबंधी कार्यवाही के लिए आमंत्रण देने वाली जिला सभा स्वागत समिति का संयोजक नियुक्त कर कार्य प्रारम्भ करेगी । ३० या उससे अधिक स्वागत समिति के सदस्य बनने पर उनमे से स्वागत समिति के पदाधिकारीयों का निर्वाचन होगा । स्वागत समिति का कर्तव्य होंगा कि अधिवेशन के बाद उसका विवरण छपवा कर प्रतिनिधीयों के पास भेजे ।

अधिवेशन के समय, जब तक अध्यक्ष अपना स्थान ग्रहण न कर ले, तब तक अधिवेशन के कार्य संचालन संबधी उत्तरदायित्व स्वागत समिती के अध्यक्ष पर होगा ।

३. **प्रतिनिधी निर्वाचन :**

अ. प्रदेश का प्रत्येक माहेश्वरी बंधु अधिवेशन मे प्रतिनिधी बन सकेगा उसे स्वागत समिति द्वारा निर्धारीत प्रतिनिधी शुल्क देना होगा ।

ब. अधिवेशन के लिए स्थानीय संस्थाए अपने अपने प्रतिनिधी भेज सकेगी ।

४. **प्रस्तुत होने वाले प्रस्ताव :**

अधिवेशन मे प्रस्तुत होने वाले प्रस्ताव एक माह पूर्व प्रादेशिक सभा के मंत्री के पास पहुंच जाना चाहिए ताकि उन्हे व्यवस्थित रुप दिया जा सके । प्राप्त प्रस्तावों को दृष्टि मे रखते हुए तथा समाज की ज्वलंत समस्याओं पर विचार करके अन्य प्रस्ताव अधिवेशन मे प्रस्तुत करने के लिए कार्यसमिति द्वारा विषय निर्वाचिनी समिति गठित की जावेगी जो अधिवेशन से पुर्व आवश्यक प्रस्ताव तैयार करेगी ।

विषय निर्वाचिनी समिति मे अस्वीकृत कोई प्रस्ताव अध्यक्ष की विशेष आज्ञा से ही अधिवेशन मे प्रस्तुत किया जा सकेगा । अधिवेशन द्वारा लिए गए आदेशात्मक प्रस्तावों का पालन करना प्रदेश पदाधिकारीयों कार्यसमिति एवं प्रदेश कार्यकारी मण्डल के सदस्यों का नैतिक उत्तरदायित्व होगा ।

२७) **निर्वाचन प्रक्रिया :**

१. प्रदेश कार्यकारी मण्डल द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान मे रखते हुए जिला सभाओं का विधिवत गठन कराकर वहां से प्रदेश कार्यकारी मण्डल तथा महासभा कार्यकारी मण्डल हेतु प्रतिनिधीयों के चुनाव कराये जावेंगे ।

२. प्रदेश कार्यकारी मण्डल व महासभा के लिए प्रतिनिधीयों के निर्वाचन हेतु प्रत्येक जिला सभा पर प्रदेश द्वारा एक पर्यवेक्षक की नियुक्ती करके चुनाव कराये जावेंगे ।

३. प्रदेश के अध्यक्ष तथा प्रदेश कार्यसमिति के चुनाव की तिथि निर्धारित होते ही उसकी सुचना अ. भा. माहेश्वरी महासभा को पर्यवेक्षक की नियुक्ति करने हेतु भेजी जावेगी ।

४. जिला स्तर पर समय से चुनाव नही होने पर निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी ।

अ. किसी भी जिला सभा का समय पर चुनाव नही होने पर प्रादेशिक सभा अध्यक्ष उक्त सभा को उचित नोटीस देकर स्पष्टीकरण मांगेगे तथा जिला सभा द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नही होने पर कार्यसमिति की बैठक मे प्रस्ताव पास करा उसे भंग कर सकेंगे एवं उन क्षेत्रो मे चुनाव कराने तथा नये पदाधिकारीयों के पदग्रहण करने तक संस्था को सुचारु रुप से चलाने हेतु संयोजक अथवा तदर्थ समिति का मनोनयन कर उसकी सूचना संबंधीत जिला सभा को दी जावेगी ।

आ. भंग की गई सभा का चुनाव नियुक्त संयोजक / तदर्थ समिति द्वारा चार माह मे कराना होगा ।

इ. किसी भी सभा को भंग करने से पूर्व उसे उचित नोटीस दिया जावेगा तथा प्राप्त स्पष्टीकरण पर कार्यसमिति मे विचार करने के बाद ही उसे भंग किया जायेगा ।

५. चुनाव बैठक की सुचना कोरियर डाक / यु. पी. सी. से भिजवाई जावेगी । यदि किसी को चुनाव सूचना प्राप्त नही हुई तो इस आधार पर कार्यवाही अवैध नही मानी जावेगी ।

६. प्रादेशिक सभा का सदस्य खुद उपस्थित होकर ही मतदान कर सकता है । मत देने का अधिकार स्थानान्तरित या हस्तान्तरित नही किया जा सकेगा ।

७. कोई भी पदाधिकारी दो कार्यकाल की अवधि के बाद पुनः उसी पद के लिए एक सत्र तक चुनाव नही लड सकेगा ।

२८) **स्थाई कोष :**

सभा के कार्य को स्थाई रुप से चलाने के लिए सभा स्थाई कोष का निर्माण कर सकेगी । स्थाई कोष की राशि का प्रदेश कार्यकारी मण्डल द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार विनियोजन किया जा सकेगा ।

२९) **इन नियमों के तहत अलग से नियम बनाना :**

संस्था अपने कार्यों को सुचारु रुप से संचालन करने के लिए आवश्यकतानुसार नियम / व्यवस्थाएं बना सकेगी जो इस विधान का हिस्सा समझा जायेगा ।

३०) **अध्यक्ष का विशेषाधिकार :**

यदि किसी बिंदू पर विधान मे प्रावधान नही हो अथवा किसी बिंदू पर आशय (इन्टरप्रीटेशन) की दृष्टि से कोई अस्पष्टता हो तो इन दशाओं मे अध्यक्ष द्वारा नियुक्त समिति का निर्णय / आशय (इन्टरप्रीटेशन) अन्तिम व मान्य होगा। जिसे सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान मे रखते हुए कोर्ट मे नही ले जाया जा सकेगा ।

-::- समाप्त -::-

Copy write by
Copy Read by
Copy Compare by

"प्रमाणित सत्यप्रत"

अधिक्षक
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय
नांदेड विभाग, नांदेड